CANCELLED. CANCELLED.

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

श्रीदेव पारसनाथ जैन मंदिर , R 141-II/16

ग्राम– बांसा तारखेड़ा , तहसील एवं जिला दमोह म0 प्र0 द्वारा

महेश कुमार जैन न्यासी , एवं शीलचंद जैन, मंत्री मंदिर कमेटी ,

ग्राम बांसा तारखेड़ा, तहसील एवं जिला दमोह म0 प्र0

.....आवेदक

वनाम

श्रीमति रूपरानी पत्नि भगवानदास कुम्हार ,

ग्राम बांसा तारखेड़ा तहसील एवं जिला दमोह म0 प्र0

..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय दमोह जिला दमोह द्वारा प्र0क0 12/अ–05/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 23/09/2015 से परिवेदित होकर कर रहे हैं, जो समय सीमा में तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कि आवेदक मंदिर ओर से एक आवेदनपत्र अधिनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार दमोह के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा बांसा तारखेड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर पुराना 86 रकवा 0.620 है0 एवं खसरा नं 89 रकवा 5.014 है0 है। जिसके नये नंबर 103 एवं 106 हो गये हैं , जिनका रकवा कमशः 0.430 है0 एवं 4.300 है0 हो गये हैं, यानि आवेदक मंदिर के रकवे में लगभग 0.900 आरे की कमी हो गई है, जिसे दुरूस्त किया जाबे। जिसके आधार पर अधिनसथ बिचारण न्यायालय द्वारा रानि0 से प्रतिवकेदन प्राप्त किया तथा आम इश्जहार जारी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1141-II / 16 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.1.16	मेरे द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क मे वही बिन्दु दोहराए जो निगरानी मेमो मे लिखे हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि SDO दमोह द्वारा कोई समाधानकारक कारण अभिलिखित किए विलम्ब माफ किया जाना उचित नही है। SDO ने आक्षेपित आदेश। दि. 23.9.15 में विलम्ब का कारण युक्तियुक्त एवं सद्भाविक होना तो लिखा है, किन्तु यह कारण क्या हैं एवं इनसे SDO का विलम्ब माफी संबंधी समाधान कैसे हुआ, इसका SDO ने खुलासा नहीं किया है, जिस कारणवश SDO का आदेश स्पष्ट बोलते स्वरूप का नहीं है। अतः, SDO दमोह को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने न्यायालयीन प्र.क्र. 12/अ 5/14-15 में धारा 5 के आवेदन पर विलम्ब माफी के संबंध में नए सिरे से, कारणों एवं आधारों का खुलासा करते हुए,	

[क्र. प. उ.

R 141-II/16 दमोह दमोह

स्थान तथा दिनांक	पारसनाथ कार्यवाही तथा आदेश रूपलाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बोलते स्वरूप का आदेश, राजस्व मंडल के इस आदेश की उन्हें (SDO को) सूचना के अधिकतम 1 माह के भीतर, पारित करना सुनिश्चित करें तब तक के लिए आक्षेपित आदेश दि. 23.9.15 प्रभावहीन रहेगा। आदेश पारित। पक्षकार एवं SDO-दमोह सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। 6.1.16 (सदस्य)	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.